**संख्या-25/239/22-4-2024-1796321**

प्रेषक,

**राजेश कुमार सिंह**,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक**,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4** **लखनऊः दिनाँक-15 मार्च,2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित 41 कारागारों पर हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5319/आधु-1/क्रय-समिति-विशिष्टियाँ/23, दिनाँक 26.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-07/2024/920/001-22-4-2022-1754114, दिनाँक 04.01.2024 द्वारा हेल्थ ए०टी०एम० के लिए धनराशि रू0 410.00 लाख की प्रदत्त वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 41 कारागारों पर हेल्थ ए० टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु धनराशि रू0 4,08,99,099/- का अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति के साथ "टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित प्रदेश के 41 कारागारों पर हेल्थ ए० टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु धनराशि रु0 4,08,99,099/-(रूपया चार करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार निन्यानवे मात्र) के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1,63,59,639/- (रूपया एक करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार छः सौ उन्तासील मात्र) के अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने के साथ ही उक्त कार्य हेतु "टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता हैः-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचीरी / अधिकारी जिम्मेदार होगा। उक्त कार्यवाही महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(2) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रक्योरमेण्ड मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाऊन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा उपकरणों का क्रय उपकरण/ सेवाओं का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन में अत्यन्त अल्प अवधि के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने को संज्ञान में लेते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अनावश्यक उपलब्ध न रहे।

**3-** यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12 की अशासकीय संख्या- **E-12-598-X-2023-24,** दिनांक: 15-03-2024 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

**राजेश कुमार सिंह**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-25/239(1)/22-4-2024, तददिनांकित।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) उप महाप्रबन्धक (आई.टी.एण्ड बी.डी), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**राजेश कुमार सिंह**
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-25/239/22-4-2024-1796321**

प्रेषक,

**राजेश कुमार सिंह**,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक**,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4** **लखनऊः दिनाँक-15 मार्च,2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित 41 कारागारों पर हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5319/आधु-1/क्रय-समिति-विशिष्टियाँ/23, दिनाँक 26.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-07/2024/920/001-22-4-2022-1754114, दिनाँक 04.01.2024 द्वारा हेल्थ ए०टी०एम० के लिए धनराशि रू0 410.00 लाख की प्रदत्त वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 41 कारागारों पर हेल्थ ए० टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु धनराशि रू0 4,08,99,099/- का अग्रिम भुगतान किये जाने की अनुमति के साथ "टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना में सम्मिलित प्रदेश के 41 कारागारों पर हेल्थ ए० टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु धनराशि रु0 4,08,99,099/-(रूपया चार करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार निन्यानवे मात्र) के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 1,63,59,639/- (रूपया एक करोड़ तिरसठ लाख उनसठ हजार छः सौ उन्तासील मात्र) के अग्रिम भुगतान की अनुमति निम्न लिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने के साथ ही उक्त कार्य हेतु "टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता हैः-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचीरी / अधिकारी जिम्मेदार होगा। उक्त कार्यवाही महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(2) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रक्योरमेण्ड मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाऊन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे।

(5) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा उपकरणों का क्रय उपकरण/ सेवाओं का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन में अत्यन्त अल्प अवधि के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने को संज्ञान में लेते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अनावश्यक उपलब्ध न रहे।

**3-** यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12 की अशासकीय संख्या- **E-12-598-X-2023-24,** दिनांक: 15-03-2024 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

**राजेश कुमार सिंह**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-25/239(1)/22-4-2024, तददिनांकित।**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) उप महाप्रबन्धक (आई.टी.एण्ड बी.डी), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**राजेश कुमार सिंह**
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in